भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 58

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026 / 1 श्रावण, 1948 (शक)

रासायनिक कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच

***58. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने उपकरणों, विदेश से आयातित प्रयुक्त औद्योगिक संयंत्रों तथा दुर्घटनाओं की अपर्याप्त तकनीकी जांच के कारण रासायनिक कारखानों में बार-बार प्राणघातक दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच) संहिता, 2020 के अंतर्गत कारखानों में हो रही दुर्घटनाओं की जांच में सहायता प्रदान करने, अभियोजन को सुदृढ़ करने तथा दुर्घटना जांच के लिए एकसमान राष्ट्रीय नयाचार विकसित करने हेतु बहु-विषयक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग तंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) निरीक्षणालयों को आधुनिक निदान एवं परीक्षण उपकरणों से लैस करने, मिथ्या अथवा लापरवाहीपूर्ण सुरक्षा प्रमाणन जारी करने वाले तृतीय-पक्ष संपरीक्षकों के लिए दंडात्मक उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक उपकरणों के उपयोग की अवशिष्ट अवधि का आवधिक आकलन और उनके समयबद्ध प्रतिस्थापन को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

जारी..2/-

"रासायनिक कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच" के संबंध में डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *58 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने कारखाना सहित किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 अधिनियमित की है। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई है। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियमावली, 2026 भी अधिसूचित की है। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, खतरनाक/प्रक्रियाओं, शास्तियों और कार्यविधियों आदि से संबंधित विस्तृत उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त, ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता के अनुसार, नियोक्ता को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि:

i. कार्यस्थल ऐसे खतरों से मुक्त हो जो कर्मचारियों के लिए चोट या उपजीविकाजन्य बीमारी का कारण बनते हैं या जिनके कारण बनने की संभावना है।
ii. कार्यस्थल में ऐसे संयंत्र और कार्य-प्रणालियों का प्रावधान और रखरखाव हो जो सुरक्षित हों और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हों।
iii. कार्यस्थल में सभी कार्य-स्थानों का ऐसे स्वरूप में रखरखाव हो जो सुरक्षित हो और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो, तथा ऐसे स्थानों में प्रवेश और वहां से निकास के ऐसे साधनों का प्रावधान और रखरखाव हो जो सुरक्षित हों और ऐसे जोखिम से रहित हों;

ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 में समुचित सरकार द्वारा विशेषज्ञों को पैनलबद्ध करने के लिए एक "योजना" प्रदान करने हेतु 'तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणन' की परिकल्पना भी की गई है। ऐसे विशेषज्ञों को सुरक्षा लेखापरीक्षा और प्रमाणन करने के साथ-साथ संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वेब-आधारित योजना के माध्यम से यादृच्छिक तरीके से तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणन का कार्य सौंपा जाएगा। यह संहिता केन्द्रीय सरकार को कारखानों सहित विभिन्न स्थापनों के कार्यस्थल के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एकसमान मानक अधिसूचित करने के लिए भी सशक्त बनाती है। ये मानक, कर्मचारी के कार्य-जीवन के दौरान निपटाए जाने वाले भौतिक, रासायनिक, जैविक और किसी भी अन्य खतरों से संबंधित होगा ताकि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों या कार्यात्मक क्षमता के आधार पर व्यावहारिक सीमा तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य या कार्यात्मक क्षमता की गंभीर क्षति से पीड़ित नहीं होगा, भले ही ऐसा कर्मचारी नियमित रूप से ऐसे खतरों के संपर्क में रहता हो।

जारी..3/-

ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अधीन पंजीकृत कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधकों के लिए इस संहिता और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 और इसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इनके किसी भी उपबंध के उल्लंघन के मामले में, ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अधीन अधिसूचित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता/निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।

*****